

समाहरणालय, पटना ।
(जिला भू-अर्जन शाखा)

फोन न० 0612-2219233(क)
फैक्स न०-0612-22192
e-mail-ladpatna@gmail.c

प्रपत्र-VII

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

पत्रांक- 1078

दिनांक-14/9

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना नेउरा दनियावां नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु मौजा-सरथुआ, थाना सं०-83, अंचल-दनियावां, थाना-शाहजहांपुर, जिला-पटना में कुल 0.10 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधिन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 0.10 एकड़ है और जो मौजा-सरथुआ, थाना सं०-83, अंचल-दनियावां, थाना-शाहजहांपुर, जिला-पटना में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (चौहद्दी)			
							उ०	द०	पू०	प०
1.	31	1021	रैयती	कृषि	0.05	राजेश्वर प्रसाद सिंह पिता-खिजु सिंह साकिन-सरथुआ, थाना-शाहजहांपुर, पटना।	1020	1010	1016 1017	1022
2.	31	1021	रैयती	कृषि	0.05	अरुण कुमार सिंह पिता-स्व० सत्य नारायण सिंह साकिन-सरथुआ, थाना-शाहजहांपुर, पटना।	1020	1010	1016 1016	1022
कुल योग-					0.10					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

12/9/20
समाहर्ता,
पटना।